भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1739
सोमवार, 31 जुलाई, 2023/9 श्रावण, 1945 (शक)

शिक्षित युवाओं को रोजगार

1739. श्री विजय कुमार:
श्री एम. सेल्वराज:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ी संख्या में शिक्षित युवाओं को सरकारी अथवा निजी क्षेत्र से समुचित रोजगार नहीं मिल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कया सरकार के पास आज की तिथि के अनुसार बेरोजगार शिक्षित युवाओं का कोई आंकड़ा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का बेरोजगार शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा देश के शिक्षित युवाओं को नव सृजित रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या किसी क्षेत्र में कुशल कामगारों को रोजगार देने का प्रावधान है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े संग्रह किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15-29 वर्ष आयु के व्यक्तियों की अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (रोजगार का संकेत) 31.4%, 31.5%, 34.7%, 36.1% और 36.8% था, जो यह दर्शाता है कि रोजगार में वृद्धि की प्रवृत्ति है। इसके साथ-साथ, वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15-29 वर्ष की आयु की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) क्रमशः 17.8%, 17.3%, 15%, 12.9% और 12.4%, थी जो बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाती है। सामान्य स्थिति आधार पर 15-29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों की राज्य-वार अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) अनुबंध में दी गई है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के तहत, पात्रता शर्तों के अंतर्गत बेरोजगारी लाभ का भुगतान, उन बीमित श्रमिकों को किया जाता है जो अपना रोजगार खो देते हैं। एबीवीकेवाई के तहत बेरोजगारी लाभ को औसत दैनिक आय का 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, जो 90 दिनों तक देय है, साथ ही बीमित कामगारों को लाभ का दावा करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट दी गई है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेकों कदम उठाए हैं।

अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश से, विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। हाल के वर्षों में यह अत्याधिक वृद्धि, सरकार के विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के प्रयासों पर केंद्रित है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार द्वारा सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः स्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को, उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए उन्हें जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए, सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को, अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इन पीएलआई योजनाओं से 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है जिसमें, देश में रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

सरकार एक डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से विभिन्न प्रकार की करियर संबंधी सेवाएं जैसे नौकरी ढूंढने और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी आदि प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को लागू कर रही है।

इसके अलावा, सरकार ने कुशल श्रम और रोजगार के बीच अंतर को पाटने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 लेकर आई है जिसका उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से सभी शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करना है। मध्य और माध्यमिक विद्यालय में शुरुआती उम्र में व्यावसायिक शिक्षा से शुरुआत करके, गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा को उच्च शिक्षा में सुचारू रूप से एकीकृत किया जाएगा।

युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) "राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस)" लागू कर रहा है, जिसमें सरकार प्रशिक्षुओं को देय वजीफे के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि विभिन्न योजनाओं के तहत देश भर में कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। इन केंद्रों के माध्यम से, उम्मीदवारों को उद्योग और अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार रोजगार-परक कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है।

सरकार, ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु एक कार्यक्रम लागू कर रही है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम आदि भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए हीं है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 31.07.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1739 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार बेरोजगारी दर (यूआर) (प्रतिशत में)
आयु समूह: 15-29 वर्ष

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
आंध्र प्रदेश	16.1	18.9	17.1	15.3	15.3
अरुणाचल प्रदेश	26.1	33.1	23.8	21.9	29.7
असम	27.0	23.5	27.5	16.1	12.4
बिहार	22.8	30.9	17.6	17.0	20.1
छत्तीसगढ़	10.1	9.0	10.1	7.5	6.7
दिल्ली	22.2	22.5	22.5	15.9	9.9
गोवा	28.7	24.2	25.1	25.8	30.5
गुजरात	13.3	8.4	5.8	5.5	5.6
हरियाणा	20.7	22.1	17.6	15.3	23.3
हिमाचल प्रदेश	18.4	18.8	13.0	12.8	12.8
जम्मू और कश्मीर	15.0	13.8	18.3	18.3	14.4
झारखंड	20.4	14.0	11.6	7.9	4.1
कर्नाटक	15.8	11.8	14.1	8.8	10.9
केरल	36.3	35.2	35.4	33.7	30.9
मध्य प्रदेश	12.0	10.4	8.4	5.6	6.0
महाराष्ट्र	15.0	14.9	10.6	11.6	11.1
मणिपुर	35.7	32.8	33.1	21.8	30.4
मेघालय	5.1	8.9	8.9	5.3	7.5
मिजोरम	28.6	23.1	20.2	14.4	21.5
नागालैंड	56.0	59.6	70.1	55.2	30.5
ओडिशा	23.6	22.8	19.6	16.9	19.8
पंजाब	21.6	21.0	18.7	18.8	19.2
राजस्थान	14.3	16.6	13.1	13.4	13.0
सिक्किम	10.8	10.7	7.2	4.4	5.8
तमिलनाडु	25.6	24.0	20.9	20.4	20.0
तेलंगाना	23.3	27.4	24.2	16.1	14.2
त्रिपुरा	19.9	30.7	10.8	12.1	11.5
उत्तराखंड	27.5	23.5	19.7	21.0	21.1
उत्तर प्रदेश	16.7	15.0	12.6	11.6	8.2
पश्चिम बंगाल	13.2	11.1	14.2	11.1	11.3
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	37.0	33.9	34.2	26.3	24.7
चंडीगढ़	14.1	18.2	12.3	16.5	16.6
दादरा एवं नगर हवेली	1.1	3.7	6.1	12.1	8.5
दमन और दीव	6.8	0.1	6.2		
लक्षद्वीप	50.9	70.3	36.2	47.6	48.1
पुडुचेरी	33.5	25.1	28.7	25.6	19.3
लद्दाख				42.3	14.6
अखिल भारत	**17.8**	**17.3**	**15.0**	**12.9**	**12.4**

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय